तारीख

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

मुकदमा न 63 / 2018

उनवान

कृष्ण कुमार बनाम खैरातीलाल वगैरह

दावा बाबत घोषणार्थ एव स्थाई निषेधाज्ञा

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी

30.05.2018 पत्रावली प्रतिवादी न 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. बाबत दिनांक 23.05.2018 को सुनी गई। बहस आदेश हेतु पेश हुई। वकील प्रतिवादी न 1 ने प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि यह वर्तमान दावा न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 21.02.2017 को प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान दावा से पूर्व वर्तमान दावे मे वर्णित कृषि भूमि ख.न. 1079 रकबा 6.19 हैक्टर, खसरा न. 1088 रकबा 0.03 हैक्टर गैर मुमकिन कुआ, ख.न. 1089 रकबा 5.32 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 11.54 हैक्टर के सबंध मे न्यायालय हाजा के समक्ष दावा बाबत घोषणार्थ खाता विभाजन बटवारा एव स्थाई निषेधाज्ञा का दावा स 104 / 2014 उनवानी खराती लाल बनाम हुक्मीचन्द विचाराधीन था। जिसमे न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 31.10.2014 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार चिड़ावा से विभाजन प्रस्ताव चाहा गया है। जहा न्यायालय को वाद के विचारण मे जिसमे विवाद विषय उसी के अधीन मुकदमा दर्ज करने वाले कहीं पक्षकारो के बीच या ऐसे पक्षकारो के बीच जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमे, से कोई दावा करते है किसी पूर्वतन संस्थित वाद मे भी प्रत्यक्षत और सारत विवाद है, आगे कार्यवाही नही करेगा। वर्तमान दावा पक्षकारान के विवादक विषय पूर्व मे संस्थित दावा के विवादक समान है तथा पक्षकारान समान है, इस कारण से वर्तमान दावा मे न्यायालय हाजा के द्वारा कार्यवाही को रोका जाना उचित एव न्यायोचित है। अत दावा स 104 / 2014 के विचाराधीन होने के कारण वर्तमान दावे की कार्यवाही को रोका जावे तथा वर्तमान दावे मे प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा को हटाया जावे ताकि पूर्व मे संस्थित दावे की कार्यवाही सुचारू रूप से जारी रह सके तथा उक्त दावे का न्यायोचित निस्तारण हो सके। इसके तर्क मे वकील वादी ने जवाब दरख्वास्त मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया है कि उनवानी वाद खैरातीलाल बनाम हुक्मीचन्द मु.न. 104 / 2014 माननीय न्यायालय मे पहले से चल रहा हो तो उसकी वादी को कोई जानकारी नही है। क्योंकि वादी वाद मे पक्षकार नही था। वादी ने अपनी पैतृक सम्पति मे से अपना हक लेने का कानूनी अधिकार लेने हेतु वाद प्रस्तुत किया है। पूर्व प्रस्तुत वाद मे पक्षकारान अलग-अलग है। इसलिए प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे। हमने प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व जवाब वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हुए बहस वकील पक्षकारान पर मनन

उपखण्ड अधिकारी
झुंझुनू (राज.)

किया गया। जिससे कोई न्यायालय ऐसे किसी भी वाद के विचारण में विवाद विषय उसी के अधीन मुकदमा करने वाले किन्हीं पक्षकारों के बीच या ऐसे पक्षकारो के बीच जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमे से कोई दावा करते है, किसी पूर्वतन संस्थित वाद मे भी प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद है, आगे की कार्यवाही नही करेगा। क्योंकि दावा पेश करने पर वही न्यायालय अनुतोष देने की अधिकारिता रखता है। इस प्रकार समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र प्रतिवादी न. 1 पोषणीय होना जाहिर होता है एवं प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रतिवादी न. 1 प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.स्वीकार किया जाकर वर्तमान दावे की कार्यवाही पूर्व दावा संख्या 104/2014 के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखे जाने के आदेश दिये जाते है तथा विवादित भूमि बाबत मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु ता0 फैसला दावा सं. 104/2014 दोनो पक्षकारो को अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 30.05.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

30.5.18

(अलका बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी,झुंझुनू
उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

Scanned by CamScanner